

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया रमन चराया पुत्री श्री बरयाम मल पत्नी मोहनलाल, जाति-अरोड़ा, निवासी- मकान न. 330, होमलेण्ड इनक्लेव बठिन्डा (पंजाब) ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती रामरखी पत्नी बरयाम मल जाति अरोड़ा, निवासी- सादुलशहर, जिला- श्रीगंगानगर ने दिनांक 24.05.2013 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 04.04.2017 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 24.05.2013 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीया को गवाहान श्रीराम पुत्र श्री बरयाम मल एवं ओमप्रकाश पुत्र श्री बनवारी लाल ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रेम चंद सेवटा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
18/10/22

L-7
L
with
all Acc